न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 103/2014

सायलान :-	बनाम	गै0सा0 :-
1- दुर्गाराम पुत्र मंगाराम		1- केसाराम पुत्र किशनाराम
2- हिम्मताराम पुत्र मंगाराम		2- जीयाराम पुत्र किशनाराम
3- रतनाराम पुत्र मंगाराम		3- चेनाराम पुत्र किशनाराम
4- गीगाराम पुत्र मंगाराम		4- हनुमानराम पुत्र उम्मेदराम
5- पुकाराम पुत्र मंगाराम		जाति- सिरवी निवासी पाटवा बेरा
जाति-सिरवी, निवासी-पाटवा बेरा		बिलदा, तह0-जैतारण (जिला-पिाली)
बिलदा, तह0-जैतारण (जिला-पिाली)		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 19.06.2014**

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायलान।

2. श्री विरमराम, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 21/07/2015**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-पाटवा, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में सायलान व गैरसायलान एवं सह खातेदारान कि पैतिक पुश्तेनी शामलाती खातेदार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की जमीन व कुआ खसरा नम्बर 324, 325, 327, 328, 329, 330, 323 कुल किता-7 कुल रकबा 155-12 बीघा किस्म गै0मु0 एवं चा0दो0, खसरा नम्बर 332, 333, 337 कुल किता-3 कुल रकबा 145-07 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 326 रकबा 02-08 बीघा किस्म गै0मु0 की आई हुई हैं। उपरोक्त खसरान की भूमि सायलान व गैरसायलान व सहखातेदार के पिता दादा के समय से संयुक्त कब्जे काश्त की आई हुई है। वक्त सैटलमेन्ट से सायलान व गैरसायलान व सहखातेदार बेरा बिलदा पर ही अपने परिवार सहित ही रहते आ रहे है। सायलान व गैरसायलान व सहखातेदार के परिवार ज्यादा होने की वजह से सब संयुक्त रूप से मुतनाजा भूमि पर काश्त नही कर सकते है। सायलान अपने हिस्से की जमीन पर बैंक से ऋण लेकर व किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर खद डालकर उपजाउ बनाना चाहते है। तथा अपने 1/8 हिस्से की जमीन को समतल मेडबंदी करना चाहते है। जब तक मौके पर सायलान व गैरसायलान व अन्य सहखातेदार के आपस में राजस्व रेकर्ड में अपने हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा होकर अलग अलग खाता व तरमीम नही होती, तब तक सभी कार्य करना संभव नही हैं। इसलिये सायलान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से माफिक मुतनाजा भूमि का बंटवाडा किया जाना जरूरी है। गैरसायलान मुतनाजा भूमि पर बिना वंटवाडा किये ही राजस्व भूमि पर पक्के भवन निमार्ण सायलान के हिस्से की जमीन पर लाठी के बल पर दिनांक 18/6/2014 को नीवें खोद कर ज्यादा संख्या में मजदूर कारीगर लगाकर निमार्ण कर रहे है। सायलान ने गैरसायलान को बिना कानूनन बंटवाडा के निमार्ण करने का मना किया, तो जड़ाई जगडा करने पर उतारू हो गये गैरसायलान संख्या 04 गीगाराम की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्नि के साथ गैरसायलान ने मारपीट की गैरसायलान ने एलानिया कहा की हम किसी भी सूरत में सायलान की भूमि पर पक्का निमार्ण कर मकान व बाउण्ड्री बना देंगे। यदि सायलान मना करेगा, तो सायलान के साथ मारपीट करेंगे। गैरसायलान में संख्या ज्यादा होने से प्रत्येक दिन नई नई हरकते करते रहते है तथा बंट्वाडा करने से मना कर रहे है व अपने हिस्से एसे ज्यादा जमीन पर कब्जा कर निमार्ण व काश्त करने की धमकियाँ देते है। सायलान के हिस्से की जमीन में काश्त करने में दखलन्दाजी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा स गैरसालायन को सायलान के हिस्से की व कब्जे काश्त की भूमि में निमार्ण करने से व दखलन्दाजी बाधा उत्पन्न करने से जब तक कानूनन बंटवाडा नहीं हो जावें। तब तक रोका जाना अति आवश्यक हैं। अन्यथा मौके पर सायलान के साथ लड़ाई झगड़ा कर खून खच्चर होने की पुरी संभावना है। खसरा नम्बर 323 में सायलान के हिस्से की भूमि के पास आई हुई हैं, जिस पर नीवें खोदकर चूना पत्थर से नीवें भरकर गैरसायलान द्वारा जबरदस्ती भर दी हैं। यदि सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में गैरसायलान ने लाठी के बल पर पक्का निमार्ण कर लेंगे, तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें। जिससे सायलान को असीम नुकसान होगा। इसलिये तथ्यो परिस्थितियों को देखते हुए गैरसायलान को सायलान के हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 323 पर कच्चा या पक्का निमार्ण करने से रोका जाना अति आवश्यक हैं। सायलान के जमीन के हिस्से की चारो तरफ जंगली जानवरों के बचाव के लिये चार दिवारी बनाने के लिये पिछले 10 वर्षो से पत्थर डाले हुए हैं। लेकिन बंटवाडा नहीं होने से गैरसायलान द्वारा सायलान को पक्की चार दीवारी आज तक नही निकालने दी और गैरसायलान उसी जगह लाठी के बल पर पक्के मकान भी बना लिये हैं। जबकि सायलान के अपने हिस्से के सड़े आबादी भूमि में पुराने मकान बने हुए है। गैरसायलान और जबरदती अपने हठ धर्मिता से यह जानते हुए कि उक्त भूमि सायलान के हिस्से की है, जिस पर निमार्ण कर रहे हैं। सायलान ने अपने जाति समाज के मूख्यान को भी इक्कठा कर मौका दिखाया। लेकिन गैरसायलान ने किसी की नही सूनी है। गैरसायलान नाजायज रूप से जबरदस्ती लाठी के बल पर निमार्ण कर रहे हैं। इसलिये सायलान के पास अन्य उपचार नहीं होने से पटवारी हल्का पाटवा से दिनांक 18/06/2014 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेकर गैरसायलान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। इसलिये गैरसायलान आज ही डिस्पेन्थविद किये जाकर गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं। मुतनाजा आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने व राजस्व रेकर्ड में कानूनन बंटवाड़ा किया हुआ नहीं होने से सायलान का प्रथम दृष्टिया केस बहुत ही मजबूत हैं एवं गै0सा0 जबरदस्ती लाठी के बल पर सायलान के हिस्से की भूमि पर नीवें खोद पक्का निर्माण शुरू करने पर सायलान द्वारा मना करने पर भी नहीं माने एवं सायलान के हिस्से की भूमि पर लाठी के बल पर पक्का निर्माण कर लेगें, तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें, जिससे सायलान को असीम नुक्शान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति गै0सा0 किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें। सायलान के हिस्से की भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में हैं। इसलिए सायलान के हिस्से की जमीन में काश्त कार्य करने में दखलन्दाजी बाधा उत्पन्न करने से व सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने से जब तक कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो जावें। तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा से गै0सा0 को रोका जावें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील गै0सा0 जबाब दिनांक 29/10/14 को पेश किया, सा0मि0 हैं। बहस वकुलाय सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाबदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। चूँकि मौका कमीश्नर रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, जिसका भी अवलोकन किया गया। लिहाज गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19/06/2014 को जारी की गई हैं। जिसमें सायलान के हिस्से की भूमि पर कच्चा / पक्का कोई निर्माण आदि करने से गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा रोका गया था। जिसे वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं एवं वकील सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 039 नियम 7 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–पाटवा, पटवार हल्का–पाट्वा, तहसील–जैतारण में सायलान व गैरसायलान एवं सह खातेदारान कि पैतिक पुश्तेनी शामलाती खातेदार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की जमीन व कुआ खसरा नम्बर 324, 325, 327, 328, 329, 330, 323 कुल किता–7 कुल रकबा 155–12 बीघा किस्म गै0मु0 एवं चा0दो0, खसरा नम्बर 332, 333, 337 कुल किता–3 कुल रकबा 145–07 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 326 रकबा 02–08 बीघा किस्म गै0मु0 सायलान के हिस्से की भूमि पर कच्चा / पक्का कोई निर्माण आदि करने से गै0सा0 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के दिनांक 19/06/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner